धारा 164 : सरकार की नियम बनाने की शक्ति

(1) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार, सभी या किसी विषय में, नियम बना सकेगी, जिसके संबंध में अधिनियम के अधीन उपबंध करना अपेक्षित है या अपेक्षित हो सकेगा या विहित किया गया है या जिनके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किए जाने हैं या किए जा सकेंगे।

(3) इस धारा द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति में उनमें से किन्हीं को भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति सम्मिलित होगी जो उस तारीख से पूर्ववर्ती तारीख नहीं होगी जिसको इस अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होते है।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन बनाए बए नियमों में उनका उल्लंघन करने पर दस हजार रुपए से अनधिक शास्ति के लिए दायी होगा।